प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Pipeline/60933/2020

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 1413 / 27–4 फतेहपुर , दिनांक – 15 / 11 / 2021

सेवा में,

चीफ रीजनल मैनेजर,
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 कानपुर पार्ट फतेहपुर एवं हमीरपुर,
808–810, 8वां तल ए 14 / 113 कान चैंबर सिविल लाइन्स,
कानपुर।

विषय :– जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 किमी 0.3450 हे0 संरक्षित वन भूमि में एच.डी.डी तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 12" (300एमएम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3450 हे0 के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या – 1258 / 81–2–2021–800(44) / 2021 दिनांक 11.11.2021।

विषयांकित प्रस्ताव में अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के उपरोक्त संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा 19 बिन्दुओं के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित समस्त शर्तों के अनुपालन में निम्न प्रकार धनराशि जमा करते हुय अनुपालन आख्य मय संलग्न के पांच प्रतियों में पेनड्राइव सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये आनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

01. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या –09 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनरशि 2,15,970.00 (दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ सत्तर मात्र) ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट चालान के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैम्पा फंड में जमा करवा कर उसकी पावती इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
02. शर्त संख्या –19 के अनुपालन में 20 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रु0 93,60,000 00 दिनांक 07.07.2010 को कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग जनपद गाजियाबाद में जमा कराई जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न है)।

संलग्नक :– यथोपरि।

प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

संख्या – /समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त प्रयागराज।

प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पी.आई.पी. रोड, सिविल लाईन्स, फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601
05180-224493 dfofatehpur@gmail.com

Scanned with CamScanner

संख्या- 1258/81-2-2021-800(44)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 11-10-2021 ,2021

विषय- जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 19 (कानपुर-प्रयागराज रोड) के किमी0 507.50 से किमी0 519.00 लम्बाई 11.50 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।(प्रस्ताव सं0 एफपी/यूपी/पाईप लाईन/60933/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-520/11-सी-एफपी/यूपी/ पाईप लाईन/60933/2020, दिनांक 12.08.2021 एवं पत्र संख्या-2170/11-सी-एफपी/यूपी/ पाईप लाईन/60933/2020, दिनांक 01.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक0-7-11-2014 तथा 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 में विहित व्यवस्थानुसार जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 19 (कानपुर-प्रयागराज रोड) के किमी0 507.50 से किमी0 519.00 लम्बाई 11.50 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
(2) भूमिगत पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
(3) पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00मी0 गहराई 1.00 मी0 चौड़ाई से अधिक न होगी।
(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण मे होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एव वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

Scanned with CamScanner

(9) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुसन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारापण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

(14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।

(15) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(16) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) परियोजना में 12 इंच(300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैः-

(1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पिनयां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।

(2)ऐसी कम्पिनयां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगंने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- वन संरक्षक, प्रयागराज।
(3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फतेहपुर।
(5)- चीफ रीजनल मैनेजर इंद्रप्रस्थ गैस लि0 कानपुर पार्ट फतेहपुर एवं हमीरपुर 808-810 8वा तल ए 14/13 कान चैंबर सिविल लाइंस कानपुर।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

Proposal No. : FP/UP/Pipeline/60933/2020

शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि की गणना

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 किमी एवं 0.3450 हे0 संरक्षित वन भूमि में एच.डी.डी तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 12" (300एम.एम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3450 हे0 भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है :–

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल :– 0.3450 हे0
2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व :– 0.3
3. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर :– रु0 6.26 लाख प्रति हे0
4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य :– **0.3450 X 626000**
   = **215970.00**
   (रुपया दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ सत्तर मात्र)

उपरोक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी। तथा भविष्य में यदि उक्त दर में कोई बढ़ोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 74 / 22-1 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई, 2010

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लाट नं0–4, आर0के0 पुरम,
सेक्टर–9, नई दिल्ली।

विषयः गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महामाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भः उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–जी0आई0–196 / 14–2–2010–1017 / 10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश जो मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के बिन्दु सं0–15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	वांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रू0 4,50,000 / –	रू0 90,00,000 / –
2	प्रशासनिक व्यय	4 प्रतिशत	रू0 3,60,000 / –
कुल योग :–			रू0 93,60,000 / –

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

Scanned with CamScanner

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITE

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of De

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1076

Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1 (Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghazipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of **Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only)**.

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July-2010 of **Rs.3,60,000/-** against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

7/7/10
SFD 976

Thanking You,

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/-

Scanned with CamScanner